

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 555वीं बैठक दिनांक 24/02/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 8567/2021 Shri Surendra Singh Parmar, New Aaampura, Dist. Morena, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.612 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 2186, 2187, 2198, 2199), Village - Bilheti, Tehsil - Morar, Dist. Gwalior (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 2186, 2187, 2198, 2199), Village - Bilheti, Tehsil - Morar, Dist. Gwalior (MP) 1.612 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 504वीं दिनांक 23/07/2021 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाइन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के उत्तर-पूर्व दिशा में तथा दक्षिण दिशा में एक नहर स्थित है जो एम.एम.आर., 1996 के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र (100 मीटर) की सीमा से बाहर है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। समिति प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि जन सुनवाई में धूल के कारण खेती प्रभावित होने की बात उठाई गई है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा अभी कोई कार्य नहीं किया गया है अतः यह समस्या क्षेत्र में स्थित अन्य खदानों के कारण हो रही होगी। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को यह सलाह दी कि प्रस्तावित ई.एम.पी. में परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव के फेरो की संख्या बढ़ा दी जाये ताकि इस खदान से धूल की समस्या न हो। पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ पुनरीक्षित जल खपत योजना।
- ✓ पुनरीक्षित ओव्हर वर्डन योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 50,000 मी.³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.08 लाख एवं रिकरिंग 03.15 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख :-

क्र.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
1.	शौचालय की मरम्मत (फर्स में फिटिंग वाली टाईल्स और दीवारें) 2000 ओव्हर हेड टैंक, उचित जल चैनलाईजेशन सिस्टम के साथ	60,000
2.	वर्ष में एकबार प्रमाणित डॉक्टरों की देख-रेख में मौखिक स्वच्छता और मधुमेह और रक्तचाप के लिए बिलेटी गाँव में स्वास्थ्य जागरूगता शिविर का आयोजन।	10,000
3.	सी.ई.आर. के तहत खदान श्रमिकों को उज्ज्वला योजना के तहत 10 सोलर कूकर / गैस सिलेण्डर का वितरण।	30,000
योग		1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2300 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

**555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 फरवरी 2022**

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	650
2	परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊँचाई – 01 मीटर)	सेमल, नीम, पीपल, चिरोल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ, ट्री-गार्ड के साथ ।	800
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, कटहल, बेल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	840
4	विद्यालय में	कदम, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	10
		योग	2300

2. Case No 8418/2021 M/s Vedika Stone Crusher & Construction, Shri Jai Singh S/o Shri Awadhraj Singh, Shivam Nagar, Rewa Road, Dist. Satna, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.508 ha. (20000 cum per annum) (Khasra No. 906, 907, 908, 909), Village - Bathiya, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 906, 907, 908, 909), Village - Bathiya, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) 2.508 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 495वीं दिनांक 01/04/2021 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के चारो ओर अन्य खदानें कार्यरत हैं । खदान के उत्तर दिशा में कुछ शेड स्थापित हैं इसके संदर्भ में पी.पी. ने बताया कि यह शेड खदान के पास में कार्यरत स्टोन क्रेशर में कार्यरत श्रमिकों के रेस्ट शेल्टर है । खदान के क्षेत्र में पिट के संदर्भ में पी.पी. ने बताया कि यहां बहुत पुराने पिट हैं तथा उनको लीज इसी स्थिति में आवंटित हुई

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

है। खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में कच्चा रोड़ है जिसके संदर्भ में पी.पी. ने बताया कि यह रोड़ खदानों के कार्य हेतु काम आता है। वायु गुणवत्ता मापन परिणाम भी इस ओर इशारा करते हैं कि इस क्षेत्र कि वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के बिल्कुल करीब है इसलिये संरक्षण हेतु उचित प्रयास किये जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित जल खतप योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि उत्तर दिशा में निर्मित शेड श्रमिकों हेतु रेस्ट शेल्टर है।
- ✓ वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु संरक्षण उपाय।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 20,000 मी.³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11.39 लाख एवं रिक्रिंग 04.89 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख :-

क्र.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
1.	ग्राम पंचायत बठिया के लिए 500 मॉस्क और 02 बोटल 10 लीटर हैंड सेनेटाइजर वितरण।	5000
2.	उज्जवला योजना के तहत 10 सोलर कूकर / गैस सिलेण्डर का वितरण।	15,000
3.	ग्राम बठिया के ऑगनवाडी केन्द्र 01 वर्ष पोषण आहार वितरण।	60,000
योग		80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3010 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
------	----------------------------	---------------------	---------------------

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 फरवरी 2022

	नियत स्थान		
1	बैरियर जोन	कुंभी, शीशम, नीम, पीपल, बरगद, सीताफल, औषधि पौधों का बीज रोपण एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1195
2	परिवहन मार्ग(पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई – 01 मीटर)	कुंभी, नीम, जामुन, कटंग बॉस, चिरोल, अचार, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ, ट्री-गार्ड के साथ एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1000
3	बठिया ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, हर्रा, नीबू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	800
4	विद्यालय में	कुंभी, कदम, अमलतास, नीम, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	15
		योग	3010

3. Case No. – 6311/2019 Shri Abhishekh Kumawat, M/s Sanwaliyarundi Stone Deposit, Dongre Nagar, Dist. Ratlam, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (14,938 cum per annum) (Khasra No. 3/1/1/1), Village - Sanwaliyarundi, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP). EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 3/1/1/1), Village - Sanwaliyarundi, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 376वीं दिनांक 01/07/2019 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के उत्तर दिशा में लीज बाउण्ड्री से लगी हुई एक कच्ची रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनकी खदान कार्यरत न होने के कारण अभी यह कच्चा रोड़ उनकी लीज के पास निकल रहा है तथा वास्तविक रूप से 10 मीटर दूरी पर है । समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि चूँकि वर्तमान परिस्थिति में कच्चा रोड़ विद्यमान है, अतः कच्चे रोड़ से के पास वाले 7.5 मीटर बैरियर जोन में सबसे पहले तीन कतारों में वृक्षारोपण किया जाये तथा उनके पास ही साइट आफिस व अन्य सुविधाओं का विकास किया जाये । इसी

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

प्रकार खदान के पूर्वी दिशा 90 मीटर पर नदी तथा उत्तर पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर पक्का रोड है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसे : सेप्टिक टैंक का निर्माण, पानी की व्यवस्था, गांव के मंदिर में विकास कार्य तथा वृक्षारोपण) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित जल खतप योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

4. प्रकरण क्रमांक 8980/2022 – श्री कल्याण श्रोती, मकान नं. 13ए चेतकपुरी लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 2082, रकबा 2.332 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन-47,025 मी.³, ग्राम डोरार, तहसील घाटीगांव, जिला-ग्वालियर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 2082, रकबा 2.332 हेक्टेयर, ग्राम डोरार, तहसील घाटीगांव, जिला-ग्वालियर (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 9671 दिनांक 08/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है । अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर-पश्चिम दिशा में 170 मीटर पर प्राकृतिक नाला एवं उत्तर-पश्चिम दिशा में 500 मीटर पर आबादी होना परिलक्षित हो रहा है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/2/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 47,025 मी.³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 15.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.54 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख :-

आगामी 01 वर्ष तक	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
	ग्राम दोरार के ऑगनवाड़ी केन्द्र पोषण आहार का वितरण।	80,000
योग		80,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सु नीम, पीपल, बरगद, कदंब, महुआ, चिरौल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्डे का आकार 0.60मी. X 0.60मी. X 0.60मी. गड्डे में आधा गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।	2000
2	परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊँचाई – 01 मीटर)	शीशम नीम, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ, प्रभावशाली 6 फिट उँचाई का ट्री-गार्ड।	800
योग			2,800

5. प्रकरण क्रमांक 8991/2022 - श्री राजकुमार किरार, ग्राम मैथाना, तहसील - मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 310, रकबा 1.698 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 52,250 मी.³, मैथाना, तहसील - मुरार, जिला - ग्वालियर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 310, रकबा 1.698 हेक्टेयर, मैथाना, तहसील- मुरार, जिला - ग्वालियर (म.प्र.) पर स्थित है।

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 10032 दिनांक 20/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है । अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व पश्चिम-पूर्वी दिशा में 13 मीटर पर शेड, उत्तर दिशा में 292 मीटर पर पक्का रोड़, दक्षिण दिशा में 271 मीटर पर नहर होना परिलक्षित हो रहा है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पश्चिम-पूर्वी दिशा में जो शेड वह सतगुरु वैयर हाऊस है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पर्यावरण प्रबंधन योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 52,250 मी.³-प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.56 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 08.51 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख :-

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
आगामी 01 वर्ष तक	ग्राम मैथाना के ऑगनवाड़ी केन्द्र पोषण आहार का वितरण ।	80,000
	योग	80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

कं.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सु, नीम, कदंब, महुआ, चिरोल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्डे का आकार 0.60मी. X 0.60मी. X 0.60मी. गड्डे में आधा गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।	1300
2	परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊँचाई - 01 मीटर)	शीशम नीम, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ, प्रभावशाली 6 फिट उँचाई का ट्री-गार्ड।	800
योग			2100

6. प्रकरण क्रमांक 8986/2022 - श्री अंकित शर्मा, ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, जिला मुरैना (म.प्र.) स्वालईल क्वेरी, खसरा नं. 268, 269, 270, 271, रकबा 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्वाईल- 2,000 मी.³, ग्राम राजपुरा जॉगीर, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 268, 269, 270, 271, रकबा 2.0, राजपुरा जॉगीर, तहसील - कैलारस, जिला - मुरैना (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1569 दिनांक 16/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 04.0 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 175 मीटर पर आबादी, पूर्व दिशा में 248 मीटर पर नदी, दक्षिण-पश्चिम दिशा में पक्का रोड़ होना परिलक्षित हो रहा है। प्रस्तुतीकरण कारण के दौरान पी.पी. ने बताया कि ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, 02 मीटर से अधिक उत्खनन नहीं किया जायेगा, कोई भी वृक्ष नहीं काटा जायेगा तथा चिमनी भी प्रस्तावित स्थल पर स्थापित नहीं की

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

जावेगी । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/2/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्वाईल – 2,000 मी.³-प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 07.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.83 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.25 लाख :-

आगामी 05 वर्ष	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रुपये में
	सरकारी कार्यक्रम “पोषण आहार” में वित्तीय सहायता	20,000 /—
	ग्राम राजपुरा जंगीर में महामारी में आवश्यक सावधानियों के लिए ग्रामीणों को स्वच्छता किट (हैंड सैनिटाइजर, हैंड ग्लब्स और नाक का मुखौटा) के रूप में वितरण और प्रशिक्षण (50 ग्रामीणों)	5,000 /—
योग		25,000 /—

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

वृक्षारोपण (पहला साल) हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	नीम, खमेर, कचनार, शीशम, खैर, चिरोल आदि ।	680
परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम)	नीम, खमेर, कचनार, आचर, अमलतास, शीशम, चिरोल आदि ट्री गार्ड सहित ।	1600

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

ऊँचाई – 01 मीटर)		
विद्यालय में	नीम, खमेर, कचनार, आचर, अमलतास, भाबूती, आदि अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	120
	योग	2400

7. प्रकरण क्रमांक 8987/2022 – श्रीमती अंजू शर्मा, चौधरी वारी हाऊस, ग्राम बदफारा, तहसील अंबाहा जिला मुरैना (म.प्र.) स्वालईल क्वेरी, खसरा नं. 92, 94, 103, 105, रकबा 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्वालईल-1,995 मी.³, ग्राम पूरावासखुर्द, तहसील अंबाहा, जिला मुरैना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 92, 94, 103, 105, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम पूरावासखुर्द, तहसील – अंबाहा, जिला – मुरैना (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1481 दिनांक 03/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 70 मीटर पर कच्चा रोड़, उत्तर पश्चिम दिशा में 272 मीटर पर नदी, पूर्व दिशा में 248 मीटर पर नाला होना परिलक्षित हो रहा है । । प्रस्तुतीकरण कारण के दौरान पी.पी. ने बताया कि ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, 02 मीटर से अधिक उत्खनन नहीं किया जायेगा, कोई भी वृक्ष नहीं काटा जायेगा तथा चिमनी भी प्रस्तावित स्थल पर स्थापित नहीं की जावेगी । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/2/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्वाईल – 1,995 मी.³-प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 06.34 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.68 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख :-

आगामी 05 वर्ष	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रुपये में
	सरकारी कार्यक्रम "पोषण आहार" में वित्तीय सहायता	35,000 /—
	ग्राम पुरवास जंगीर में महामारी में आवश्यक सावधानियों के लिए ग्रामीणों को स्वच्छता किट (हैंड सैनिटाइजर, हैंड ग्लब्स और नाक का मुखौटा) के रूप में वितरण और प्रशिक्षण (50 ग्रामीणों)	5,000 /—
योग		40,000 /—

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

वृक्षारोपण (पहला साल) हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	नीम, खमेर, कचनार, शीशम, खैर, चिरोल आदि।	360
परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई – 01 मीटर)	नीम, खमेर, कचनार, आचर, अमलतास, शीशम, चिरोल आदि ट्री गार्ड सहित।	790
विद्यालय में	नीम, खमेर, कचनार, आचर, अमलतास, भाबूती, आदि अन्य स्थानीय प्रजातियां।	50
योग		1200

8. **Case No 8996/2022 M/s Medical Pollution Disposal Committee, Dr. Pranjal Patel, Plot No. 81C/1, 74/3, 74/4, Village - Dumduma, Tehsil - Karera District - Shivpuri, MP Prior Environment Clearance for Common Bio-medical Waste Treatment Facility for treatment of 200 kg per hour Static with dry scrubbing system and ceramic filters based Bio medical incineration project, includes Dry Incinerator, Autoclave, Shredder, Storage and Effluent Treatment Facility at Khasra No. 74/4, 74/3, Village - Dumduma, Tehsil - Karera District - Shivpuri (MP)**

This is case of Prior Environment Clearance for Common Bio-medical Waste Treatment Facility for treatment of 200 kg per hour Static with dry scrubbing system and ceramic filters based Bio medical incineration project, includes Dry Incinerator, Autoclave, Shredder, Storage and Effluent Treatment Facility at Khasra No. 74/4, 74/3, Village - Dumduma, Tehsil - Karera District - Shivpuri (MP).

The proposed project is for setting up of common bio-medical waste treatment facility and project falls under Category “B” Projects of activity 7(da) as per EIA Notification dated 14th September, 2006 and its subsequent amendments dated 17th April 2015, under Bio- Medical Waste Treatment Facilities. Application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal and necessary recommendations.

The case was presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and their representatives on behalf of PP . Wherein PP submitted that-

- M/s Medical Pollution Disposal Committee proposes to operate CBWT facility at Khasara No 74/3, 74/4 at village Dumduma, Tehsil Krera Dist Shivpuri (M.P.) with static incinerator of 200 Kg per hr in line with the guideline issued by CPCB .
- M/s Medical Pollution Disposal Committee (MPDC) has establish the CBWTF facility in year 2006 at above khasara numbers and received authorization from MPPCB vide no 95 on dated 28.05.2007
- M/s MPDC could not operate the facility because of land dispute and it was operated for certain months. Thereafter again facility was closed in year 2008. After disposal of dispute in year 2018, it was decided to start operation. However in the mean time, CPCB has issued new guideline for incinerator of CBWTF and therefore MPDC propose to install new static incinerator and dismantle the old one.

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

- MPDC is already engaged in operation of BMW facility in Jhansi since last more than 10 years. Hence the proponent have quite good knowledge about handling, transportation and treatment of Biomedical waste of the same sector.
- A Common Bio-medical Waste Treatment Facility (CBWTF) is a set up where bio-medical waste, generated from a number of healthcare units, is suitably treated to reduce adverse effects that this waste may pose. The treated waste may finally be sent for disposal in a TSDF .
- Proposed project of setting up of the Common Bio-medical Waste Treatment Facility for treatment of 200 kg per hour static kiln based bio medical incineration project, includes Incinerator, Autoclave, Shredder, Storage and Effluent Treatment Facility.
- As per the guideline, A CBWTF located within the respective State/UT shall be allowed to cater healthcare units situated at a radial distance of 75 KM. However, in a coverage area where 10,000 beds are not available within a radial distance of 75 KM, existing CBWTF in the locality (located within the respective State/UT) may be allowed to cater the healthcare units situated up to 150 KM radius w.r.to its location provided the Bio-Medical waste generated is collected, treated and disposed of within 48 hours as Stipulated under the BMW Rules.

After deliberations committee decided to recommend standard TOR prescribed by the MoEF&CC may be issued for conducting the EIA with following additional TORs and as per conditions mentioned in Annexure-D:-

- a. PP shall clarify the complaint forwarded by SEIAA vide their email dated 22.02.2022 regarding the CBWTF facility with justified response in the EIA report. The copy of complaint shall be obtained from SEAC Secretariate.
- b. PP shall carry out comprehensive gap analysis through data authentication from Government agency and justify their proposal for establishment of another CBWTF within 75 kms radius.
- c. PP is proposing to operate new CBWT facility and dismantle the old structure hence, details of C&D waste shall be furnished in the EIA report.
- d. Facility should be developed in accordance with the provisions made in the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by GOI and Guidelines published by CPCB for Common Bio-medical Waste Treatment Facilities.

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 फरवरी 2022

- e. Justify in EIA report considering habitation near to the project site wrt a village at a distance of 299 meters in the NE and another village at a distance of 464 m in the NW side. Hence, that the proposed technology is “Best Available Technology” of CBWTF and also how unit will remain zero discharge.
- f. Plume Dispersion Modeling study and result discussed in the EIA report shall be conducted.
- g. Justify in EIA report, how unit will remain zero discharge.
- h. Disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
- i. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.
- j. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report.
- k. Maximum storage time of Bio-medical waste within the facility and disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
- l. Monitoring of VOC should be added in the proposed monitoring protocol of EIA study.
- m. Justify in EIA report, how unit will remain zero discharge.
- n. PP shall obtain CTE from the MP Pollution Control Board and same shall be appended with EIA report.
- o. Proposal for GPS enable vehicles and their route maps shall be discussed in the EIA report.
- p. Elaborate handling and disposal of hazardous waste and possible spillage avoidance in the EIA report.
- q. Ash storage and sharp pit design criteria shall be discussed in the EIA report.

9. Case No 8894/2021 M/s J.K. Medical Waste Management System, Smt. Pramila Sharma, Partner, House No. 85, Vinay Graha Nirman Society, Bawadiya Kalan, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatmet Facility, at Village - Rauda Chhapar, Tehsil & Dist. Shivpuri, MP

This is case of Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatmet Facility, at Village - Rauda Chhapar, Tehsil & Dist. Shivpuri, M.P.

The case was presented by the Shri G.K. Mishra, Env. Consultant from Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP Gurugram on behalf of PP in the 543rd the meeting dated 27th January 2022 wherein PP was asked to submit reply wrt complaint against this proposed project trough SEIAA which was submitted by PP.

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 फरवरी 2022

The case was scheduled for presentation presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and their representatives on behalf of PP. Wherein PP submitted that-

1. CBWTF Plant of Shivpuri has been proposed on private land. The land-use of proposed project land has been diverted.
2. Kindly make correction (if any) and consider, the project on private land for that, we have submitted all relevant documents with our ToR application.
3. As per CPCB guideline, any sensitivity or any habitation should not be less than 500 m. Simultaneously, it has also been mentioned in guidelines that if agency using Best Advance Technology (BAT) then the criteria may be reduced up to 250 m.
4. M/s JK Medical Waste Management System, project agency is proposing Best Advance Technology (BAT) considering the relevant stack height of 30 m. The criteria may be reduced upto 250 m.
5. In our application, we have proposed 200 kg/hr Dry Static Incinerator. Using most advance technology and Air Pollution Control Device.
6. We have proposed CBMWTF, Shivpuri Plant as a standby plant of Chanderi CBMWTF plant. To reduce the travel time for the fulfilling of CPCB Guidelines.
7. We are proposing 200 kg/hr Dry Static Incinerator. For the incineration of incinerable waste only. Deep burial will only be used for Sharp, Needles, and Metals pieces. The size of Deep burial pit will be 8x10 m approximately.

After deliberations committee decided to recommend standard TOR prescribed by the MoEF&CC may be issued for conducting the EIA with following additional TORs and as per conditions mentioned in Annexure-D:-

- a. PP shall carry out comprehensive gap analysis through data authentication from Government agency and justify their proposal for establishment of another CBWTF within 75 kms radius.
- b. Facility should be developed in accordance with the provisions made in the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by GOI and Guidelines published by CPCB for Common Bio-medical Waste Treatment Facilities.
- c. Justify in EIA report considering that the proposed technology is “Best Available Technology” of CBWTF and also how unit will remain zero discharge.
- d. Plume Dispersion Modeling study and result discussed in the EIA report
- e. shall be conducted .
- f. Justify in EIA report, how unit will remain zero discharge.
- g. Disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 फरवरी 2022

- h. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.
- i. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report.
- j. Maximum storage time of Bio-medical waste within the facility and disposal plan of autoclaved material should be discussed in the EIA report.
- k. Monitoring of VOC should be added in the proposed monitoring protocol of EIA study.
- l. Justify in EIA report, how unit will remain zero discharge.
- m. PP shall obtain CTE from the MP Pollution Control Board and same shall be appended with EIA report.
- n. Proposal for GPS enable vehicles and their route maps shall be discussed in the EIA report.
- o. Elaborate handling and disposal of hazardous waste and possible spillage avoidance in the EIA report.
- p. Ash storage and sharp pit design criteria shall be discussed in the EIA report.

10. Case No 9001/2022 M/s AG8 Ventures Ltd, Aakriti House, Eco City, E-8, Extension, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Residential Township Project "Aakriti Aquacity" at Village - Chaan, Block - Phanda, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, (MP) Area under Group Housing (in Sqm)- 36,421.65 (9 Acres), Area under Plotted Development (in Sqm)- 2,16,000 (53.37 Acres), Total Area- 2,52,421.65 (62.37 Acres) Built Up Area – 2,25,098.234 M2 Cat. 8(b) Townships and Area Development projects.

This is case of Prior Environment Clearance for Township and Area Development Project "Aakriti Aquacity" at Village - Chaan, Block - Phanda, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, (MP).

This is case of Environment Clearance for Residential Township Project "Aakriti Aquacity" at Village - Chaan, Block - Phanda, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, under violation. PP submitted following details of the project :

- M/s AG8 Ventures Limited. is the developer of a Residential Township Project “Aakriti Aquacity” which is located at Village –Chaan, Block-Phanda, Tehsil-Hujur, District-Bhopal, Madhya Pradesh .
- The total site area is 2,52,421.65 sqm (62.37 Acres) which includes 36,421.65 sqm (9 Acres) area under Group Housing and 2,16,000 sqm (53.37 Acres) under

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 फरवरी 2022

plotted development. The total built-up area of the project will be 2,25,098.234 sqm out of which Project Proponent has already constructed 99,781.33 sqm at site **without prior Environment Clearance and is therefore, a violation of Environment Protection Act, 1986.**

- The project proponent started construction in the year 2010 and it was stopped in the year 2016.
- Part of the project i.e. 40 flats in group housing part and 60 plots in plotted colony part is under operation.
- Building plan approval was granted for the project by Town and Country Planning Department for 53.37 Acres (plotted colony) on 04.06.2010 vide letter no. 506/L.P.12/diversion-V.A/ Jika/Nagrani/2010 and for 9 acres (Group Housing) on 23.06.2010 vide letter no. 574/L.P.13/diversion-V.A/ Jika/Nagrani/2010.
- Following permissions have been obtained for the project, copies enclosed in subsequent slides:
- Colony development permission and colonizer license obtained from District magistrate Hujur, Bhopal.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 फरवरी 2022

1. Status report of construction took place so far, possession given to how many families etc.
2. Exact distance of project area to nearby natural drain River, flowing in the North- West to North- East & in the South – west direction from the project site.
3. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report.
4. Species Plantation and their photographs.
5. Furnish details of CO₂ emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.
6. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
7. Fire NOC to be taken from the concerned department and submitted with EIA.
8. Project description, its importance and the benefits.
9. Under energy conservation plan detail-out solar light erection panels.
10. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
11. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
12. Land acquisition status, R & R details (if any).
13. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
14. Baseline environmental study for ambient air (PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, NO_x & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
15. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
16. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
17. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
18. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area
19. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 फरवरी 2022

20. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
21. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
22. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
23. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.

11. Case No 9004/2022 Gwalior Development Authority, Executive Engineer, Vikash Bhavan, Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Township Project "Maharajpura Residential Scheme Phase-4 (Shatabdipuram Phase-4)" in Village - Mau and Vikrampur, Tehsil - Grid, Dist. Gwalior, (MP) Total Project Influenced Area-19,25,380.68 M2 Area for Plotted Development- 6,70,131.40 M2, Total no. of residential Units – 5057, Total Shops – 54. Total Project Influenced Area-19,25,380.68 M2, Area for Plotted Development- 6,70,131.40 M2 , Total no. of residential Units – 5057, Total Shops – 54.

This is case of Prior Environment Clearance for Township Project "Maharajpura Residential Scheme Phase-4 (Shatabdipuram Phase-4)" in Village - Mau and Vikrampur, Tehsil - Grid, Dist. Gwalior, (MP).

This is case of Prior Environment Clearance for Township Project "Maharajpura Residential Scheme Phase-4 (Shatabdipuram Phase-4)" in Village - Mau and Vikrampur, Tehsil - Grid, Dist. Gwalior, (MP).

The case was presented by Env. Consultant Shri Akhilesh Prasad from M/s. ENV Developmental Assistance Systems Pvt. Ltd, on behalf of PP wherein PP submitted that

- The proposed project a part of Shatabdipuram is located at Village - Mau and Vikrampur, Gird Tehsil, Gwalior, Madhya Pradesh. The Site is open land and does not involve activities of any type.
- The project site is under Gwalior Development Authority has got the responsibility for plotted development. This is a part of project planned in 1995

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

and being executed now Development of proposed project will be done as per applicable norms/bye laws. This is a plotted development project so the proponent is responsible for developing infrastructure like drainage, sewage system, road, light and Park. The project will be fully operative in next 4-5 years.

- This project is peculiar in its location, as Gwalior Airport is situated at 2 km away in NE direction and Gwalior Fort is situated at 3 Km away in South Direction. Being a plotted development and as no high rise building is proposed in Shatabdipuram-phase-4, the location of project will not affect Airport and Fort. As the project location does not intersect the runway approach funnel, no AAI NOC regarding building height is required.
- Another Important feature of this project is presence of abandoned mines within the scheme boundary area. It is proposed to develop a 30 m wide green belt surrounded by gated fence encompassing the mines and additional landscaping. The abandoned mine pit will act as water harvesting pit/ water retention structure and surface drainage will be planned accordingly.

Site Specific Details

Items	Details
Location	Village- Mau and Vikrampur, Gird Tehsil, Gwalior, MP
Latitude & Longitude	Refer Fig :1
Site Elevation (m)	200 m
Net Plot Area	6,70,131.40m ²
Category	B, Type- 8(b), Township & Area Development Project
Land Use	Residential as per Master Plan
Type of facilities	<ol style="list-style-type: none"> 1. Residential Plots of different size 2. Commercial Area 3. Road Area 4. Open Area (Park Area) 5. Parking Area 6. Community Centre 7. Health Centre 8. School Area
Nearest Highway	Asian Highway Network 47--4.64 KM(W) National Highway 44-5.23 KM(N) National Highway 719-7.81 KM(NE)
Nearest railway station	Birla Nagar Junction 2.51 KM (S)

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

Items	Details
Nearest airport	Gwalior Airport- 2.5 Km (NE)
Protected areas as per Wildlife Protection Act, 1972 (Tiger reserve, Elephant reserve, Biospheres National parks, Wildlife sanctuaries)	National forest-Anand Van 8.85 KM (S) Sirohi Pahadi-7.25 KM (S)
Rivers/Lakes	SwarnRekha River-2.26 KM(W) Morar River-3.00 KM (SE) Moti Jheel-4.00 KM (W) Sankh River -12.2 KM (W)
Archaeological important places	Gwalior Fort-3.56 KM (SW)
Seismic zone	Zone-II (Least Active)
Defense installations	Defence Research & Development Establishment (DRDE)= 5.10 KM (S)

The committee after deliberation decided that It's a case of Area Development Project where net plot area is 6,70,131.40 m² Ha. hence, the committee recommended to issue standard TOR as prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits.
2. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
3. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
4. Land acquisition status and R & R details, if any.
5. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
6. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO₂, NO_x & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
7. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
8. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 फरवरी 2022

9. Surface of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
10. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area.
11. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
12. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.

12. प्रकरण क्रमांक 8997/2022 – मेसर्स आर.के. इन्फ्रा, श्री परेश खण्डेलवाल, ग्राम धरोला, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 2479/4/1, 2479/4/2, 2479/4/3, 2479/3, रकबा 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन-12,000 मी.³ ग्राम धरोला, तहसील नलखेड़ा, जिला- आगर मालवा (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 2479/4/1, 2479/4/2, 2479/4/3, 2479/3, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम धरोला, तहसील नलखेड़ा, जिला- आगर मालवा (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1120 दिनांक 14/10/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 5.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 460 मीटर पर आबादी एवं पूर्वी दिशा में 350 मीटर पर कच्चा रोड़ है। अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 12,000 मी.³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11.63 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 05.55 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख :-

आगामी 05 वर्ष तक	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
	ग्राम धरोला में स्थित गोशाला में लगाए जाने वाले पौधों के लिए ट्यूबवेल द्वारा पानी की व्यवस्था के जावेगी।	50,000/-
	योग	50,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल सफेद कैस्टर, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000 पौधे
2	परिवहन मार्ग में (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई – 01 मीटर)	करंज, कदम्ब, चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा नीम, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	600 पौधे
3	ग्राम धरोला के विद्यालय परिसर में उपलब्ध क्षेत्र में	पीपल करंज, चिरोल, नीम, कदम्ब, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	450 पौधे
4	गौ शाला परिसर में उपलब्ध क्षेत्र में	पीपल, नीम, कदम्ब, बरगद, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज, महूआ, चिरोल, मोलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	350 पौधे
		कुल वृक्षारोपण	2400 पौधे

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 फरवरी 2022

13. प्रकरण क्रमांक 8999/2022 - श्रीमती मनुप्रिया यादव, भैसोदा मण्डी, तहसील भानपुरा जिला - मंदसौर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1232, रकबा 2.652 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन क्वेरी-8,512 एवं सिलेबिल ओवरवर्डन 5,488 मी.³ ग्राम बवुल्दा, तहसील भानपुरा जिला- मंदसौर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1232, रकबा 2.652 हेक्टेयर, ग्राम बवुल्दा, तहसील भानपुरा जिला- मंदसौर (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2380 दिनांक 17/11/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर-पूर्व दिशा में 90 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा उत्तर दिशा में 280 मीटर पर तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 480 मीटर पर आबादी है। प्रस्तुतीकरण के दौरान या पाया गया कि उत्तर-पश्चिम दिशा में एक शवदाह का शेड स्थित है, अतः उसे 60 मीटर का सेड-बैक छोड़ दिया जाये तथा सेट-बैक क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाये। अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन - 8512 मी.³ प्रति वर्ष तथा ओवरवर्डन -5488 मी.³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11.63 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 05.55 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 00.60 लाख :-

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

आगमी 05 वर्ष तक	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
खदान क्षेत्र के पास स्थित मुक्ति धाम परिसर में हैंडपंप लगवाया जायेगा		60,000/-
योग		60,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, सफेद कैस्टर, करंज, आवला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1350 पौधे
2	परिवहन मार्ग में (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई - 01 मीटर)	करंज, महुआ, चिरोल, पुत्रंजीवा जंगल जलेबी, नीम, मोलश्री सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	500 पौधे
3	खदान क्षेत्र में प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में	आवला, करंज, महुआ, चिरोल, जंगल जलेबी, नीम, सुबबूल सिस्सू पुत्रंजीवा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	850 पौधे
4	खदान क्षेत्र के पास स्थित मुक्तिधाम में	पाकड़ए मोलश्री कदम बरगद सफेद कनेर पीपल करंज, आवला, चिरोल, नीम, मोलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500 पौधे
		कुल वृक्षारोपण	3200 पौधे

14.प्रकरण क्रमांक 9000/2022 - श्री संजय अग्रवाल, पीपल चौक, नौरोजाबाद जिला उमरिया (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 368/1का, रकबा 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन 8,820 मी.³ ग्राम भानपुरा, नौरोजाबाद जिला उमरिया (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 368/1का, रकबा 2.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन 8,820 मी.³ ग्राम भानपुरा, नौरोजाबाद जिला उमरिया (म.प्र.) पर स्थित है।

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 582, 584 दिनांक 17/03/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 04.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल में पश्चिम दिशा में हरित क्षेत्र परिलक्षित हो रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि इस क्षेत्र में खनन कार्य नहीं होगा तथा उसे नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ा जावेगा। अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ खदान स्थल में पश्चिम दिशा में हरित क्षेत्र है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र कि इस क्षेत्र में खनन कार्य नहीं होगा तथा उसे नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ा जावेगा।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 8820 मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.95 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.19 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख :-

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रुपये में
	सरकारी कार्यक्रम "पोषण आहार" में वित्तीय सहायता	1,00,000
	योग	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, शीशम, खमेर, बरगद, आम, महुआ, इमली, कटंग बांस, चिरोल, बबूल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1650
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई – 01 मीटर)	नीम, करंज, आम, शीशम, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	150
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, गुआवा, पपीता, नींबू, हर्रा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	600
योग			2400

15. प्रकरण क्रमांक 9005/2022 - मेसर्स मारुती इंटरप्राइजेज, श्री सूर्यप्रकाश चौरसिया, वल्लभ नगर, सतना रोड़ पो.आ. मैहर जिला सतना (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 53, 75/2, रकबा 1.892 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन 59,375 टन/वर्ष ग्राम सिलौटी, तहसील मैहर जिला - सतना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 53, 75/2, रकबा 1.892 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन 59,375 मी.3 ग्राम सिलौटी, तहसील - मैहर जिला - सतना (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3103 दिनांक 15/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 04.969 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण दिशा में लगा हुआ पक्का रोड़ 103 मीटर पर तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में 275 मीटर पर आबादी है। अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति के सुझावे अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना।
- ✓ समिति के सुझावे अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **स्टोन** – 59,375 टन/वर्ष प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 15.46 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.67 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 00.66 लाख :-

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रुपये में
	सरकारी कार्यक्रम "पोषण आहार" में वित्तीय सहायता ग्राम सलोदी	66,000
	योग	66,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1900 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	कुम्भी, बीजा, शीशम, दहीमन, नीम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई – 01 मीटर)	कुम्भी, बीजा, शीशम नीम, करंज, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, नींबू, हर्रा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	600
		योग	1900

16. प्रकरण क्रमांक 9008/2022 - श्री अशोक कुमार द्विवेदी, ग्राम सुमेदा, पोस्ट - बेहरा जिला - सीवा (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 49/6, 48/5, 47/3, 49/7, 47/2, 47/4, 48/3, 48/6, 49/8 रकबा 01.439 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन-10,000 मी.³ ग्राम सुमेदा, तहसील - हुजूर जिला - सीवा (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 49/6, 48/5, 47/3, 49/7, 47/2, 47/4,

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

48/3, 48/6, 49/8 रकबा 1.439 हेक्टेयर, ग्राम सुमेदा, पोस्ट – बेहरा जिला – रीवा (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6358 दिनांक 03/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जो नॉन होमोजिनिअस है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में पक्का रोड़ 380 मीटर पर, दक्षिण-पश्चिम दिशा में 112 मीटर पर प्राकृतिक नाला, एवं उत्तर-पूर्व दिशा में 250 मीटर पर आबादी है। अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 10,000 मी.³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11.00 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.43 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 00.66 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम करियारी टोला के शासकीय प्राथमिक स्कूल में रंग रोगन (पुताई) एवं दो कमरों के दरवाजे और खिड़कियों की मरम्मत	60,000

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

ग्राम करियारी टोला के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 20 छायादार वृक्षों (कदम्ब, कचनार, करंज, बहुनिया एवं अन्य प्रजातियाँ) को ट्री गार्ड के साथ लगाना	6000
योग	66,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	कुम्भी, बीजा, शीशम, दहीमन, नीम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई - 01 मीटर)	कुम्भी, बीजा, शीशम नीम, करंज, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, नींबू, हर्रा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	500
योग			1800

17. प्रकरण क्रमांक 8981/2022 - प्रतिभा जैन, प्रधानपुरा कोतवाली के पीछे तहसील एवं जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) स्टोन एवं मेकिंग एम-सेंड क्वेरी, खसरा नं. 195/6/माईन-1, रकबा 4.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन एवं मेकिंग एम-सेंड क्वेरी 70,000 मी.³ ग्राम मगरई, तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 195/6/माईन-1, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम मगरई, तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1955 दिनांक 25/08/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 20 मीटर पर कच्चा रोड़, पूर्व एवं दक्षिण दिशा में 424 मीटर पर प्राकृतिक नाला है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि एम सेंड प्लांट बी.एस.आई. तकनीक पर आधारित है । इस प्रोजेक्ट में 02 पेड़ काटा जायेगा जिसके एवज में 20 पेड़ लगाये जायेंगे । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/02/21 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन एवं एम-सेंड - 70,000 मी.3 प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 20.24 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 05.28 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम जगतनगर के शासकीय प्राथमिक शाला में दो कंप्यूटर, एक प्रिंटर टेबल के साथ एवं पांच लकड़ी की कुर्सियां	1,35,000
ग्राम जगतनगर के शासकीय प्राथमिक शाला में 50 छायादार वृक्षों (कदम्ब, कचनार, करंज, बहुनिया एवं अन्य प्रजातियाँ) को ट्री गार्ड के साथ लगाना	15,000
योग	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	अमलतास, सिस्सू, नीम, पाकड़, पीपल, करंज, खमेर, चिरोल, कदम्ब, महुआ जंगल जलेबी, आंवला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1800
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई – 01 मीटर)	कदम्ब, नीम, पीपल, चिरोल, कचनार, करंज, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	400
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आंवला, आम, नीम्बू, पपीता, अमरुद एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2600
योग			4800

18.प्रकरण क्रमांक 9007/2022 – श्री तरनजीत सिंह वेदी, ओनर, श्याम टाकीज, तहसील एवं जिला छिदवाडा (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 364/2, रकबा 3.744 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन 49,379 मी.³ ग्राम भानदेही तहसील एवं जिला छिदवाडा ग्वालियर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 364/2, रकबा 3.744 हेक्टेयर, ग्राम भानदेही तहसील एवं जिला – छिदवाडा ग्वालियर (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 24/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण-पत्र (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5711 दिनांक 17/11/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 4.98 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पश्चिम दिशा में 380 मीटर पर पक्का

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

रोड़ तथा दक्षिण-पूर्व दिशा में 51 मीटर पर प्राकृतिक नाला है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन - 49,379 मी.³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 12.96 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.42 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख :-

साल	सी. ई. आर. गतिविधि	कुल दर (रु में)
1	स्कूल में चबूतरों का निर्माण	25,000/-
2	स्कूल का पुताई एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	75,000
योग		1,00,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

पौधों की कुल संख्या - 4500			
अवस्था	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	पौधों की संख्या
प्रथम वर्ष	बैरियर जोन में (तार की बाड़ की सुरक्षा के साथ)	नीम, खमेर, कटंग बांस, कचनार, चिरोल, करंज, महुआ, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1600
	खाई में (अंतर 45m x 45m)	नीम, सुबबूल आदि के बीज एवं स्थानीय प्रजाति की बुवाई	100
	गैर खनन क्षेत्र में (तार की बाड़ की सुरक्षा के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, अचार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

परिवहन मार्ग में (ट्री गार्ड की सुरक्षा के साथ) (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई – 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, सीताफल, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत भानादेही जिला छिंदवाड़ा के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2000
ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
ग्राम भानादेही के माध्यमिक शाला में	इमली, आम, आँवला, सीताफल, कबीट एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100

19. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (District Survey Report) पर चर्चा –

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी (सिया) ने पत्र क्रमांक 3095 दिनांक 17/02/22 एवं पत्र क्रमांक 3101 दिनांक 17/02/22 के माध्यम से 06 जिलों (रतलाम, अलीराजपुर, छतरपुर, पन्ना, रायसेन एवं सिंगरौली) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उपरोक्तानुसार प्राप्त सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 21/02/22 को प्रेषित की गई थी तथा उनसे सुझाव दिनांक 23/02/22 तक चाहे गये थे। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23/02/22 तथा दिनांक 24/02/22 में इन जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान यह पाया गया कि प्राप्त सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार कुछ बिंदुओं पर जानकारी आंशिक रूप से दी गई है एवं कुछ बिंदुओं पर कोई जानकारी नहीं दी गई है :-

1.	Introduction	Given
2.	Overview of Mining Activity in the District	Given
3.	List of Proposed Sand ghats	Given
4.	Details of Royalty or Revenue Received in Last Three Years	No records
5.	Details of Production of Sand or Minor Mineral in Last Three Years.	No records except Chhatarpur and Singrauli

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 फरवरी 2022

6.	Replenishment R e p o r t /Process of Deposition of Sediments in the Rivers of the District	Replenishment study not done only official old records have been placed.
7.	General Profile of the District	Given
8.	Land Utilization Pattern in the District: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.	Given
9.	Physiographic division of the District	Given
10.	Rainfall: Month-Wise	Annualrainfall Given Month wise data missing.
11.	Geology and Mineral Wealth	Covered
12.	Drainage and irrigation pattern	Covered
13.	Land utilization pattern in the district: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.	Partly covered
14.	Surface water and ground water scenario.	Covered
15.	Rainfall of the district and climatic conditions	Covered
16.	Details of existing leases	Covered
17.	Details of royalty or revenue received in last three years	Not given
18.	Details of production of sand or minor minerals	Covered
19.	Mineral map of the district	Partly covered
20.	List of letter of intent holders	Not given
21.	Total mineral reserves available in the district	Partly covered
22.	Quality/Grade of mineral available in the district	Partly covered
23.	Use of Mineral	Partly covered

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

24.	Demand and supply of the mineral in last three years	Not given
25.	Mining lease marked on the district map	Partly covered
26.	Details of the area of where there is a cluster of mining lease viz no. of mining lease location	Partly covered
27.	Details of Eco-Sensitive zone	Partly covered
28.	Impact on the environment due to mining activity	Covered
29.	Remedial measures to mitigate the impact of mining on the environment	Partly covered
30.	Reclamation	Not given
31.	Risk assessment and disaster management plan	Partly covered
32.	Occupational health issue in the district	Not given
33.	Plantation and greenbelt development in respect of lease already granted in the district	Not given
34.	Any Other Information	Not given

अतः समिति का मत है कि सभी डी.एस.आर. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना (दिनांक 25/7/18) के अपेंडिक्स-10 में वर्णित फॉरमेट तथा स्ट्रेक्चर, सस्टेनेबल सेंड माइनिंग गाइडलाईन, 2016, एनफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाईन्स फॉर सेंड माइनिंग, 2020 तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 22/02/2022 के अनुसार बनाई जाना चाहिए तथा प्रारूप डी.एस.आर. पब्लिक, जिले की वेबसाइट एवं कार्यालय में रखकर प्राप्त सुझावों को रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। उपरोक्तानुसार समिति ने यह अनुशंसा करती है कि उपरोक्त सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वांछित सुधार हेतु सिया की ओर अग्रेषित कर दिये जायें तथा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को निर्देशित किया जायें कि प्रदेश की सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अपेंडिक्स-10 में वर्णित फॉरमेट तथा स्ट्रेक्चर, सस्टेनेबल सेंड माइनिंग गाइडलाईन, 2016, एनफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाईन्स फॉर सेंड माइनिंग, 2020 तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 22/02/2022 के अनुसार ही बनाई जायें।

**555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 फरवरी 2022**

19. प्रकरण क्रमांक 8292/2021 – श्री प्रदीप सिंह चौहान, एमआईजी-2/12, जैन मंदिर के पीछे, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला कटनी (म.प्र.) डोलोमाईट, सोपस्टोन एवं क्वाट्ज माइन, खसरा नं. 621, 634, 635, 636, 637, 638 रकबा 2.911 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता डोलोमाईट, सोपस्टोन एवं क्वाट्ज-23546 मी.³ (62,396 टन/वर्ष) ग्राम भदवार, तहसील वाड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 24/02/2022 द्वारा सूचित किया है कि उनका प्रकरण एसईएसी की 551वीं बैठक दिनांक 17/02/2022 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा सहित एसईआईए को प्रेषित किया गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम श्री प्रदीप सिंह चौहान त्रुटिवश टंकण हो गया है, जबकि परियोजना प्रस्तावक का सभी संबंधित दस्तावेजों में श्री प्रताप सिंह चौहान है । परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त हेतु शुद्धि पत्र जारी करने का अनुरोध किया है । समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा यह पाया कि लिपिकीय त्रुटिवश गलत नाम टंकित हो गया है । अतः समिति अपनी 551वीं बैठक दिनांक 17/02/2022 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित परियोजना प्रस्तावक श्री प्रदीप सिंह चौहान के स्थान पर श्री प्रताप सिंह चौहान पढ़े जाने की अनुशंसा करती है, शेष शर्तें/अनुशंसा यथावत रहेंगी ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{\text{th}}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

- b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022

- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

- नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

555वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 24 फरवरी 2022